A7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 145/2022
रामनिवास पुत्र बुजी देवी व तुलसीराम, उम्र 67 वर्ष, जाति जाट, निवासी जेजूसर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. अंजना देवी धर्मपत्नी महेश कुमार, जाति जाट, निवासी जेजूसर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. अनिता पत्नी सतवीर सिंह, जाति जाट, निवासी जेजूसर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. सरोज देवी पत्त्री कैलाशचन्द्र, जाति जाट, निवासी जेजूसर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील नामान्तरकरण संख्या 75 ख0नं0 668/272 तन जेजूसर दिनांक 03.01.2022 को प्रसासन गावो के संग नवलगढ 2021 तस्दीक किया के विरूद्ध

––

उपस्थितः–

1. श्रीमती मीना कुमारी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री जुल्फिकार खान, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 03.01.2022 नामान्तरकरण संख्या 75 वाके ग्राम जेजूसर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश है कि ग्राम जेजूसर में भूमि खसरा नम्बर 668/272 रकबा 2.6300 हैक्टर स्थित है जो तुलसीराम के खातेदारी में दर्ज थी तुलसीराम के प्रथम पत्नी बुजी देवी से विधिक सन्तान सहीराम व अपीलान्ट रामनिवास हुए लेकिन बुजी [illegible] जिन्दा रहते हुए तुलसाराम दूसरी औरत बिमला देवी को ले आया और बिमला देवी [illegible] बिमला देवी की कोख से पैदा हुए महेश कुमार सतवीर सिह व कैलाशचन्द्र की पत्नी जो [illegible] देवी, अनिता व सरोज के नाम से दिनांक 18.06.2014 को पैत्रिक सम्पूर्ण [illegible] तस्दीक करवा [illegible] जिस पर वादी ने दिनांक 01.07.2014 को एस0डी0आ0 नवलगढ [illegible] अपने हक अधिकारों [illegible] घोषणा का वाद 127/2014 पेश किया और स्थगन आदेश प्राप्त किया लेकिन प्रशासन गावो के संग में दिनांक 18.06.2014 को विक्रय पत्र के आधार पर 8 साल बाद नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिसका अपीलान्ट को पता ही नही चला। दिनांक 04.08.2022 को पता चलने पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की जो दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त हुई उक्त नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील ज्ञान से श्रीमान की सेवा में निम्न आधारों पर पेश है कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 03.01.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर आई साक्ष्य, नियम, कानून के विपरीत है। उक्त विषयवस्तु के बारे में व विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2014 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट्स भी उपस्थित हो चुके है। जबाब पेश किया जा चुका है। उसके 8 साल करीब नामान्तरकरण तस्दीक करना न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। जब मामला सब ज्यूडिस हो गया तो नायब तहसीलदार पटवारी व गिरदावर को सिर्फ प्रशासन गांवो के संग में नम्बर बनाने के लिए नामान्तरकरण तस्दीक करना न्याय में विश्वास नही होना व न्याय को विफल करना है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व न्याय पे प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरूद्ध है। अपीलान्ट को भी न तो सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही मौका दिया गया है। मौके पर अपीलान्ट का फिजिकल पजेशन है। उसकी जांच किये बिना व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है। न्यायालय ने दिनांक 01.07.2014 को मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया था जिसकी भी रेस्पोडेन्ट पर तामिल हो गई थी। लेकिन न्यायिक प्रकिया के दौरान ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम जेजूसर में खाता संख्या 75 भूमि खसरा नम्बर 668/272 रकबा 2.63 हैक्टर का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम दिनांक 03.01.2022 को प्रशासन गांवो के संग तस्दीक किया उसे निरस्त किया जावे या वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण को स्टे किया जाकर पेन्डिग रखने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त विषयवस्तु के बारे में व विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2014 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट्स भी उपस्थित हो चुके है। जबाब पेश किया जा चुका है। उसके 8 साल करीब नामान्तरकरण तस्दीक करना न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। जब मामला सब ज्यूडिस हो गया तो नायब तहसीलदार पटवारी व गिरदावर को सिर्फ प्रशासन गांवो के संग में नम्बर बनाने के लिए नामान्तरकरण तस्दीक करना न्याय में विश्वास नही होना व न्याय को विफल करना है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरूद्ध है। अपीलान्ट को भी न तो सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही मौका दिया गया है। मौके पर अपीलान्ट का फिजिकल पजेशन है। उसकी जांच किये बिना व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है। न्यायालय ने दिनांक 01.07.2014 को मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया था जिसकी भी रेस्पोडेन्ट पर तामिल हो गई थी। लेकिन न्यायिक प्रकिया के दौरान ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अदालत मातहत को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे विचाराधीन दावे मे निर्णय का इन्तजार करना चाहिए था। तहसीलदार उक्त दावे मे पक्षकार भी है। रेस्पोडेन्ट के हक व अधिकार दावे मे तय होगें। दूसरी ओर विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम जेजूसर में खाता संख्या 75 भूमि खसरा नम्बर 668/272 रकबा 2.63 हैक्टर का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम दिनांक 03.01.2022 को प्रशासन गांवो के संग तस्दीक किया उसे निरस्त किया जावे या वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण को स्टे किया जाकर पेन्डिग रखने का आदेश प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 3 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन दावे को नोटप्रैस किया है। इसके बाद ही विवादित भूमि की गिफ्ट डीड बनवाई गई है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान राजकीय अधिक्ता ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विक्रय पत्र के आधार पर अदालत मातहत द्वारा बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण भरा गया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

A-3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि ग्राम जेजूसर में खाता संख्या 75 भूमि खसरा नम्बर 668/272 रकबा 2.63 हैक्टर का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम दिनांक 03.01.2022 को प्रशासन गांवो के संग अभियान मे तस्दीक किया गया है। चूंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति मे रेस्पोडेन्ट के साथ–साथ अपीलान्ट का भी हिस्सा बनता है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे इस बिन्दू पर गौर नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 03.01.2022 निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का कितना–कितना हिस्सा बनता है इसकी जांच कर सभी पक्षकारों को सुना जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.15 15:34:01 IST
Reason: SelfAttested